न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 262 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 20.12.2018

राज़स्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलार्थी

विरूद्ध

रतनलाल पिता जोधा जाति चमार निवासी गुलाबपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 93/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018

उपस्थित– 1. पूरणमल स्वर्णकार –राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
2. बंशीलाल गर्ग –रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 13.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 1541/1 जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 2647 कायम किये गये। सेट्लमेन्ट अधिकारियो ने रेस्पोडेन्ट वादी को बिना सुने बिना किसी आदेश के आराजी नम्बर 2647 को नये नक्शे मे पश्चिमी छोर मे रेस्पोडेन्ट वादी के पुराने आराजी नम्बर 1541/1 के नक्शा ट्रेस मे पश्चिम सीमा से परिवर्तन कर नक्शे के अन्दर पश्चिम छोर पर त्रिकोण कर बाद मे नवीन भू-प्रबन्ध हो जाने से आराजी नम्बर 2632/3962 अंकित कर दिया। रेस्पोडेन्ट वादी की आराजी के नये आराजी नम्बर 2647 के दक्षिण पूर्वी कोण मे खिसका दिया। मौके पर पुराने नक्शा ट्रेस साबिक आराजी नम्बर 1541/1 मौजा नांगा की खेडा की सीमा तनाजा लाईन से मुकाम से सटा हुआ है जो रेस्पोडेन्ट वादी के पश्चिमी दिशा मे कोई बिलानाम जमीन नही होना अंकित करती है। गांव की सीमा लाईन से रेस्पोडेन्ट वादी पिछले 100 वर्ष से अधिक समय से बिना रोक-टोक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। नये आराजी नम्बर 2632/3962 मे जो जमीन दर्शाई गई है वह रेस्पोडेन्ट वादी की है। आराजी नम्बर 2632/3962 किस नम्बर से बने है ये रेवेन्यू रेकार्ड से स्पष्ट नही है। वादपत्र मे यह भी अंकित किया कि मौके पर रेस्पोडेन्ट वादी का कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा मिसल नम्बर 197/2014 से दिनांक 18.09.2014 को धारा 91 का नोटिस रेस्पोडेन्ट वादी को प्रेषित किया। मिसल नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

36 दिनांक 21.10.2015 को धारा 91 का पुनः नोटिस प्रेषित किया जिस पर रेस्पोडेन्ट वादी ने घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट प्रतिवादी जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जवाब हेतु अवसर चाहा। अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से पत्रावली मे दिनांक 26.06.2018 तक कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी। पत्रावली मे बिना जवाबदावा बन्द किये पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट सोनियाना मे नियत की जाकर उक्त पत्रावली मे बिना किसी राजीनामे के उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट वादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय एवं विधिसम्मत होने से अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र जवाबदावा हेतु विचाराधीन था। दिनांक 26.06.2018 को बिना किसी राजीनामे के कैम्प कोर्ट सोनियाना मे नियत किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोउेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया गया। लोक अदालत मे पत्रावली का निस्तारण लिखित राजीनामे से ही किया जा सकता है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का मौका नही दिया गया, न ही रेस्पोडेन्ट वादी दस्तावेज प्रदर्शित कराये। बिना किसी आधार के वादपत्र डिक्री किया गया है। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सोनियाना मे अपरिपक्व वाद मे निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय व डिक्री जो लोक अदालत के तहत लिखित राजीनामे के पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सही होने के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी के साबिक सेटलमेन्ट मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी नम्बर 1541/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा 1541/2 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड रही है। नवीन भू-प्रबन्ध मे साबिक आराजी नम्बर 1541/1 के नवीन आराजी नम्बर 2647 कायम कर रकबा बराबर अंकित किया गया है परन्तु नवीन भू-प्रबन्ध मे भू-प्रबन्ध अधिकारियो के द्वारा जो नक्शा कायम किया गया है उक्त नक्शा साबिक नक्शे के विपरीत कायम कर नवीन आराजी नम्बर 2632/3962 कायम कर बिलानाम रकबा अंकित कर दिया है। उक्त आराजी साबिक सेट्लमेन्ट मे रेस्पोडेन्ट वादी के नांगा का खेडा के तनाजे पर लगी हुई है। नांगा का खेडा व सोनियाना की आराजीयात के बीच मे नवीन आराजी नम्बर 2632/3962 कायम कर रकबा 0.79 हैक्टेयर बिलानाम रकबा अंकित कर दिया है। उक्त रकबा बिलानाम सरकार होने से उक्त आराजीयात से अपीलान्ट प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट वादी को बेदखल करना चाह रहा है। साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे को दुरस्त कराने का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई। राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां व साबिक नक्शे का परीक्षण कर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र आराजी नम्बर 2632/3962 रकबा 0.79 हैक्टेयर मे से 0.50 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट वादी के खातेदारी की घोषित की गई। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी ने गलत तथ्यो को आधार बनाकर गलत अपील प्रस्तुत की है, जिसको निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखाये जाने की निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध मौजा सोनियाना तहसील गंगरार की साबिक आराजी नम्बर 1541/1 जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 2647 कायम किये गये। साबिक आराजी नम्बर 1541/1 का साबिक रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा था जिसके नवीन आराजी नम्बर 2647 रकबा 0.30 हैक्टेयर कायम किये गये। साबिक रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी का 0.27 हैक्टेयर रकबा ही बनता है, फिर भी भू-प्रबन्ध के दौरान 0.27 के बजाय 0.30 हैक्टेयर रकबा अंकित किया गया है, जिससे रेस्पोडेन्ट वादी का साबिक के मुकाबले रकबा अधिक दर्ज रेकार्ड है, फिर भी रेस्पोडेन्ट वादी ने नवीन आराजी नम्बर 2632/3962 जो बिलानाम सरकार बंजर भूमि है व जिसका रकबा 0.79 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड मे अंकित है। रेस्पोडेन्ट वादी का यह कथन कि साबिक आराजी नम्बर 1541/1 के नक्शा ट्रेस मे पश्चिम सीमा से परिवर्तन कर नक्शे के अन्दर पश्चिम छोर पर त्रिकोण कर नवीन सेट्लमेन्ट मे आराजी नम्बर 2632/3962 दर्ज कर दिया गया है। जिसको दुरस्त कराने का रेस्पोडेन्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वास्ते जवाब प्रतिवादी अपीलान्ट दिनांक 04.05.2018 को नियत था। दिनांक 04.05.2018 को उक्त पत्रावली लोक अदालत मुकाम सोनियाना मे दिनांक 25.06.2018 के लिये नियत की गई। उक्त दिनांक को लोक अदालत का कैम्प नही होने से पत्रावली दिनांक 26.06.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट सोनियाना मे पुनः नियत की गई। उक्त दिनांक को बहस सुनी जाकर बिना किसी राजीनामे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र आराजी नम्बर 2632/3962 रकबा 0.79 हैक्टेयर मे 0.50 हैक्टेयर भूमि की घोषणात्मक डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र के अनुसार यह कही अंकित नही किया कि रेस्पोडेन्ट वादी का रकबा कम हुआ हो जबकि रेस्पोडेन्ट वादी ने साबिक नक्शे के अनुसार उक्त आराजी को पश्चिम छोर तक होना बताया और उसी के अनुसार नक्शा तरमीम चाहा गया है। रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र मे दस्तावेजो से यह कही प्रमाणित नही करवाया है कि नवीन आराजी नम्बर 2632/3962 रकबा 0.79 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट वादी के साकिब आराजी नम्बर 1541/1 से बने हो और न ही नवीन आराजी नम्बर 2632/3962 का मिलान खसरा या मिलान क्षैत्रफल पत्रावली मे प्रस्तुत किया है, जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत अपरिपक्व वाद जो जवाबदावे मे विचाराधीन था बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत निर्णित किया है, जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 विधिसम्मत नही होने से संहवनीय नही है। अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 93/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट प्रतिवादी का जवाबदावा लिया जाकर प्रकरण मे दावा जवाबदावे के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए रेस्पोडेन्ट वादी के द्वारा वादपत्र मे चाही गई दाद के अनुसार तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)